उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-31/2020/636/26-3-2020
लखनऊ: दिनांक-18 फरवरी 2020

आदेश/शुद्धि पत्र

अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-बलरामपुर के विकासखण्ड-गेण्डास बुजुर्ग के ग्राम परानपुर में इण्टरलाकिंग, लेपन एवं नाली निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-4.23 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-17/2020/363/26-3-2020, दिनांक-31.01.2020 द्वारा जारी की गयी थी।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1(1) में कार्यदायी संस्था त्रुटिवश उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ, लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) अंकित हो गयी है। उक्त के स्थान पर कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 पढ़ा जाय।

शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ0सं0-31/2020/636/26-3-2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ, लि0, लखनऊ (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)।
7- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in